THAKUR PRASAD COLLEGE

MADHEPURA – 852113(Bihar)

(A Constituent Unit of B.N. Mandal University , Madhepura)

Office of the principal

Mob.9162816883

Tel./Fax-No. :-06476-222809

Website :-www.tpcollege.org

E-mail :-tpcollegebnmu@gmail.com

Letter No. : TPC-916/23 *Date:* 10-08-2023

सर्वसाधारण हेतु सूचनार्थ

ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, मधेपुरा परिसर में अवस्थित कैंटिन के संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा परिसर के दक्षिणी भाग, टाटा आयरण एवं स्टील हॉस्टल की ओर पूरब जाने वाली उप सड़क के उत्तरी भाग में नवनिर्मित महाविद्यालय कैंटीन 755 वर्ग फीट भूखण्ड में अवस्थित है। इच्छुक संचालक/आवेदक दिनांक 11.08.2023 से 18.08.2023 तक अपराह्न 3:00 बजे तक महाविद्यालय अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में स्वय उपस्थित हो कर आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट www.tpcollege.org पर उपलब्ध है।

आवेदन हेतु नियम एवं 'शर्ते

- सुरक्षित राशि 750/- (सात सौ पचास रू.) प्रतिवर्गफीट अर्थात् कुल 5,66,250/-(पाँच लाख छेयासठ हजार दो सौ पचास रू.) मात्र न्यूनतम निर्धारित है।
- किराया 6/-(छः रूपया) प्रति वर्गफीट प्रतिमाह न्यूनतम दर पर निर्धारित किया गया है, जो 4530/- रूपया है।
- कैंटीन संचालक को बिजली हेतु विजली कनेक्सन एवं मीटर की व्यवस्था स्वंय की होगी। जिसका भुगतान संचालक को स्वंय करना होगा।
- संचालन के लिए निविदा हेतु डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति आवेदन के साथ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभि प्रमाणित छायाप्रति सलग्न करना होगा।
- संचालक को चरित्र प्रमाण-पत्र स्थानीय थाना (पुलिस स्टेशन) से निर्गत मूल प्रति।
- डाक में भाग लेने हेतु ईच्छुक आवेदक को अग्रधन राशि मो.-25000/-(पच्चीस हजार) रू. मात्र का भुगतान बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से प्रधानाचार्य टी. पी. कॉलेज, मधेपुरा के नाम से मधेपुरा में भुगतान हेतु स्वीकार किया जायेगा।

➢ डाकोपरान्त सफल संचालक/आवेदक की अग्रधन राशि को डाक राशि में समायोजित कर, शेष डाक राशि का 48 घंटा के अन्दर महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत अन्य संचालक को मौका दिया जायेगा।

➢ डाक में असफल संचालकों की अग्रधन राशि मो.-25000/- रूपये का कॉलेज में जमा बैंक ड्रॉफ्ट को वापस कर दिया जायेगा।

➢ महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को उनके आई कार्ड के आधार पर कैंटीन में उपलब्ध खाद्य सामग्री मार्केट भाव से 10% (दस प्रतिशत) कम दर पर देय होगा।

➢ निविदा का प्रत्येक तीन वर्ष पर किराये राशि को नवीनीकरण किया जायगा। अन्यथा पुर्नर निविदा निकाल कर महाविद्यालय कैंटिन का डाक किया जायेगा।

➢ कार्यालय में प्राप्त सभी डाकों को दिनांक 22.08.2023 के 2:00 बजे अपराह्न में विकास समिति के सदस्यों के उपस्थिति में खोल कर विभागीय कार्रवाई पुरी की जायेगी। जिसमें सभी आवेदको की उपस्थित रहने का निदेश दिया जाता है।

➢ कैंटीन छोड़ने की स्थिति में 90 दिन (तीन महीना) के पहले महाविद्यालय अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में सूचित करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् आवेदक की जमा सुरक्षित राशि को विधिवत लौटाई जायेगी।

➢ भविष्य में किसी तरह की आपत्ति या विवाद (निविदा से सम्बन्धित) का निपटारा स्थानीय व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा में ही किया जायेगा।

➢ महाविद्यालय प्रधानाचार्य आवश्यकतानुसार नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन करने और निविदा रद्द करने के लिए हमेशा स्वतंत्र होंगे।

- Terms and Conditions applied for agreement.

Kailash Prasad Yadav
10/08/2023

प्रधानाचार्य